

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
पत्रांक-02/सिरीज-22/2015, परि0

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
खगड़िया।

पटना, दिनांक .....

विषय : डीलर प्वाइंट पर निजी मोटर वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-933 दिनांक-25.05.2017 के प्रसंग में कहना है कि डीलर प्वाइंट पर निजी मोटर वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-34L** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-34K** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाए।

इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का निबंधन किररी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/सिरीज-22/2015, परि0 3096 पटना, दिनांक- 13/6/17  
प्रतिलिपि-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Bihar, Patna/ आईटी0 मैनेजर,  
Computer शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।